



**INDIRA KALA SANGEET VISHWAVIDYALAYA**  
KHAIRAGARH - 491881 (C.G.)

क्रमांक परीक्षा वि./2011/ 5789

खैरागढ़ दिनांक 30.08.2011  
06.09

**विज्ञापित**

विश्वविद्यालय के शिक्षा सत्र 2011-12 में विद्यार्थियों के पंजीयन की निर्धारित तिथि 15 सितम्बर, 2011 है तथा पंजीयन शुल्क रूपये 110.00 निर्धारित है।

- निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों को पंजीयन कराना आवश्यक है -
  1. प्रथमा प्रथम एवं अंतिम वर्ष
  2. मध्यमा प्रथम एवं अंतिम वर्ष
  3. विद् प्रथम एवं अंतिम वर्ष
  4. कोविद प्रथम एवं अंतिम वर्ष
  5. एकवर्षीय एवं द्विवर्षीय लोकसंगीत डिप्लोमा
  6. गीतांजली जूनियर एवं सीनियर
  7. आर्ट एप्रिसियेशन कोर्स (चित्रकला)
  8. डिप्लोमा इन म्यूजियोलॉजी
  9. पी.जी.डिप्लोमा इन ट्रेवल एण्ड टूरिज्म
  10. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन
  11. डिप्लोमा इन कम्प्यूनिकेटिव इंग्लिश/संस्कृत
  12. सर्टिफिकेट इन योगा
- विश्वविद्यालय में नियमित छात्र/छात्राओं को पंजीयन एक बार ही कराना होगा। अतः जिन छात्र/छात्राओं का पंजीयन उपरोक्त पाठ्यक्रमों हेतु नहीं हुआ है, ऐसे छात्र/छात्राओं के पंजीयन आवेदन पत्र, कुलसचिव की ओर निर्धारित अंतिम तिथि 15 सितम्बर, 2011 तक शुल्क 110.00 के साथ अनिवार्य रूप से पहुंच जाना चाहिए।
- उपर्युक्त अंतिम तिथि 15 सितम्बर, 2011 के पश्चात् पंजीयन आवेदन पत्र, पंजीयन शुल्क एवं विलम्ब शुल्क 110.00 + 100.00 = 210.00 के साथ दिनांक 30 सितम्बर, 2011 तक ही स्वीकृत किये जा सकेंगे। इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले पंजीयन आवेदन पत्रों को किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत नहीं किया जावेगा। ऐसे छात्र/छात्रा जिनका पंजीयन नहीं हुआ है, वे विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
- ऐसे छात्र/छात्रा जिन्हें अपनी अर्हकारी परीक्षा (संगीत/नृत्य/दृश्यकला) अन्य विश्वविद्यालय/संस्था से उत्तीर्ण की है, उन्हें उक्त विश्वविद्यालय/संस्था का मूल माइग्रेसन प्रमाण पत्र इमिग्रेशन शुल्क रूपये 500.00 के साथ इस विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
- ऐसे छात्र/छात्रा जिनका नाम परिवर्तन हुआ है, वे सिविल कोर्ट का शपथ पत्र तथा नाम परिवर्तन शुल्क रु. 500.00 के साथ पंजीयन आवेदन पत्र अनिवार्य रूप से जमा करें।
- भविष्य में यदि यह पाया गया कि छात्र/छात्रा का त्रुटिपूर्ण पंजीयन आवेदन पत्र, प्राचार्य/अग्रेषणकर्ता द्वारा अग्रेषित किया गया है तो उस स्थिति में छात्र/छात्रा का पंजीयन आवेदन पत्र किसी भी समय अस्वीकार कर निरस्त किया जा सकता है एवं ऐसे छात्र/छात्रा का नामांकन न होने की स्थिति में विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी छात्र एवं प्राचार्य/अग्रेषणकर्ता की होगी। ऐसे छात्र/छात्राओं के पंजीयन शुल्क वापस नहीं किये जावेगे।
- जो छात्र/छात्रा पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शैक्षणिक एवं संगीत/नृत्य/लोकसंगीत/दृश्यकला संबंधी योग्यता नहीं रखते हैं, उनके पंजीयन आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे एवं पंजीयन शुल्क वापस नहीं किये जावेंगे।
- इस विज्ञापित के प्राप्त होते ही पंजीयन आवेदन पत्र विश्वविद्यालय के वेबसाइट [www.iksvv.com](http://www.iksvv.com) से डाउनलोड किया जाकर उसकी पूर्तिकर विश्वविद्यालय को निर्धारित शुल्क के साथ भेजा जाए।
- लिफाफे पर पंजीयन (परीक्षा विभाग) लिखा होना चाहिए।

आदेशानुसार

(डॉ.काशीनाथ तिवारी)

प्रभारी-परीक्षा विभाग

कृते-कुलसचिव



**INDIRA KALA SANGEET VISHWAVIDYALAYA**  
KHAIRAGARH - 491881 (C.G.)

क्रमांक परीक्षा वि./2011/5790

खैरागढ़ दिनांक 30.08.2011

06.09.

**विज्ञापित**

विश्वविद्यालय के शिक्षा सत्र 2011-12 में विद्यार्थियों के नामांकन की निर्धारित तिथि 15 सितम्बर, 2011 है तथा नामांकन शुल्क रूपये 110.00 निर्धारित है।

1. निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों को नामांकन कराना आवश्यक है -
  1. बी.ए. ऑनर्स संगीत/नृत्य/लोकसंगीत
  2. बी.ए.
  3. बी.एफ.ए.
  4. एम.ए. (संगीत/नृत्य/लोकसंगीत/इतिहास)
  5. एम.एफ.ए.
  6. एम.फिल
2. विश्वविद्यालय में नियमित छात्र/छात्राओं को नामांकन एक बार ही कराना होगा। अतः जिन छात्र/छात्राओं का नामांकन उपरोक्त पाठ्यक्रमों हेतु नहीं हुआ है, ऐसे छात्र/छात्राओं के नामांकन आवेदन पत्र, कुलसचिव की ओर निर्धारित अंतिम तिथि 15 सितम्बर, 2011 तक शुल्क 110.00 के साथ अनिवार्य रूप से पहुंच जाना चाहिए।
3. उपर्युक्त अंतिम तिथि 15 सितम्बर, 2011 के पश्चात् नामांकन आवेदन पत्र, नामांकन एवं विलम्ब शुल्क 110.00 + 100.00 = 210.00 के साथ दिनांक 30 सितम्बर, 2011 तक ही स्वीकृत किये जा सकेंगे। इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले नामांकन आवेदन पत्रों को किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत नहीं किया जावेगा। ऐसे छात्र/छात्रा जिनका नामांकन नहीं हुआ है, वे विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
4. ऐसे छात्र/छात्रा जिन्हें अपनी अर्हकारी परीक्षा (संगीत/नृत्य/दृश्यकला) अन्य विश्वविद्यालय/संस्था से उत्तीर्ण की है, उन्हें उक्त विश्वविद्यालय/संस्था का मूल माइग्रेसन प्रमाण पत्र इमिग्रेशन शुल्क रूपये 500.00 के साथ इस विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
5. ऐसे छात्र/छात्रा जिनका नाम परिवर्तन हुआ है, वे सिविल कोर्ट का शपथ पत्र तथा नाम परिवर्तन शुल्क रु. 500.00 के साथ नामांकन आवेदन पत्र अनिवार्य रूप से जमा करें।
6. भविष्य में यदि यह पाया गया कि छात्र/छात्रा का त्रुटिपूर्ण नामांकन आवेदन पत्र, प्राचार्य/अग्रेषणकर्ता द्वारा अग्रेषित किया गया है तो उस स्थिति में छात्र/छात्रा का नामांकन आवेदन पत्र किसी भी समय अस्वीकार कर निरस्त किया जा सकता है एवं ऐसे छात्र/छात्रा का नामांकन न होने की स्थिति में विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी छात्र एवं प्राचार्य/अग्रेषणकर्ता की होगी। ऐसे छात्र/छात्राओं के नामांकन शुल्क वापस नहीं किये जावेगे।
7. जो छात्र/छात्रा पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शैक्षणिक एवं संगीत/नृत्य/लोकसंगीत/दृश्यकला संबंधी योग्यता नहीं रखते हैं, उनके नामांकन आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे एवं नामांकन शुल्क वापस नहीं किये जावेंगे।
8. इस विज्ञापित के प्राप्त होते ही नामांकन आवेदन पत्र विश्वविद्यालय के बेबसाइट [www.iksvv.com](http://www.iksvv.com) से डाउनलोड किया जाकर उसकी पूर्तिकर विश्वविद्यालय को निर्धारित शुल्क के साथ भेजा जाए।
9. लिफाफे पर नामांकन (परीक्षा विभाग) लिखा होना चाहिए।

आदेशानुसार

(डॉ. काशीनाथ तिवारी)

प्रभारी-परीक्षा विभाग

कृते-कुलसचिव